Result Mitra Daily Magazine

Euthanasia (निष्क्रिय इच्छा मृत्यु)

❖ हालिया संदर्भ :

- दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायाल ने हाल ही में हरीश राजा के माता-पिता द्वारा जारी एक याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमे उन्होंने यह जाँच के लिये एक मेडिकल बोर्ड के गठन की मांग की थी कि क्या यह मामला निष्क्रिय इच्छामृत्यु यानि Euthanasia के लिये व्यवहार्य है।
- दरअसल 2013 मे इमारत की चौथी मंजिल से गिरने के बाद से हरीश स्थायी रूप से वानस्पतिक अवस्था (Vegetative State) में है और मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार राजा पूरे शरीर से 100% विकलांगता के साथ चर्तुध्रुवी (Quadriplegia) विकार से ग्रसित है।
- HC एवं SC ने यह कह कर याजिका खारिज कर दिया कि राजा को यांत्रिक (Mechanically) रूप से जीवित नहीं रखा जा रहा है।

❖ निष्क्रिय इच्छामृत्यु :

- इसका सामान्य तात्पर्य किसी व्यक्ति को स्वभाविक रूप से मरने देने के लिये जीवन-सहायक उपचार प्रणाली को हटा लेना होता है।
- 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने लाइलाज बीमारियों जैसी स्थिति से जूझ रहे रोगियों के लिये निष्क्रिय इच्छामृत्यु की वैधता को मान्यता प्रदान किया था।
- SC ने इस फैसले में कहा कि 'सम्मान के साथ मरने का अधिकार' भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद-21 के तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है।

❖ अरूणा शानबाग मामला :

- वर्ष 2011 में अरूणा शानबाग VS भारत संघ मामले, 2011 में SC ने पहली बार निष्क्रिय इच्छामृत्यु की वैधता को मान्यता प्रदान किया था।
- 1973 में मुम्बई के KEM अस्पताल के वार्ड अटेंडेंट द्वारा यौन उत्पीडन किये जाने के क्रम में अरूणा को मस्तिष्क में चोट लग गई थी, जिसके बाद नर्स अरूणा दशकों तक 'वनस्पति अवस्था' में रही, जिसमें ठीक होने की कोई संभावना नहीं थी।
- 2009 में SC में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि अरूणा को दिये जाने वाले जीवन-रक्षक उपचार को समाप्त कर उन्हें शांतिपूर्वक मरने दिया जाए।
- SC ने इस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि अरूणा अभी जीवित है और उन्हें जिंदा रहने के लिये जीवन-रक्षक दवाओं की आवश्यकता नहीं है।
- हालांकि इस मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु को वैधानिक मान्यता दी गई लेकिन SC ने कहा कि ऐसा केवल उच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी) की मंजूरी के बाद ही किया जा सकता है।

❖ रोडमैप :

- 2018 में SC ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु के लिये विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किया था।
- SC ने दोनों ही मामलों-

(i) जहाँ रोगी ने अग्रिम निर्देश या जीवन वसीयत छोडी हो और जिसमें कहा गया हो कि यदि वे (रोगी) असाध्य रोग से ग्रसित हो जाएं तो जीवन-रक्षक प्रणाली हटा ली जाए तथा

(ii) जहाँ ऐसा कोई स्पष्ट निर्देश न हो, में स्पष्ट दिशा -निर्देश जारी किया था।

- दिशा, निर्देश में यह शर्त भी शामिल था कि 'जीवित वसीयत' पर दो गवाहों की मौजूदगी में रोगी को हस्ताक्षर करना होगा एवं ऐसा जीवित वसीयत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा भी हस्ताक्षरित होना चाहिये।
- दिशा निर्देश में यह भी कहा गया था कि गंभीर रूप से बीमार मरीज के मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु के मामले के रूप में परिणत करने से पूर्व कई स्तरों पर मंजूरी लेनी पडेगी, जिसमें शामिल है –

1. इलाज करने वाले चिकित्सक,
2. एक उपयुक्त रूप से योग्य चिकित्सा बोर्ड,
3. स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधित्व के साथ एक अन्य बाहरी चिकित्सा बोर्ड

- जिन मरीजों के पास जीवित वसीयत नहीं हैं, उनके परिवार को जीवन-रक्षक उपचार वापस लेने के लिये सहमति देनी होगी।

Result Mitra

❖ क्वाड्रिप्लेजिया :

- इसे टेट्राप्लेजिया नाम से भी जाना जाता है।
- यह एक ऐसी स्थिति होती है, जिसमें रीढ की हड्डी (Spinal Cord) के ग्रीवा क्षेत्र (Cervical) में स्थायी शिथिलता आ जाती है।
- यह स्थिति कई तरह की समस्याओं और कारणों से हो सकता है।

❖ संभावित कारण :

- Spinal Cord में चोट लगना,
- मस्तिष्क रोग
- मांसपेशी बीमारी
- गिलियन-बारे सिंड्रोम

Note :- ज्यादातर मामलों में रोगी को स्थायी पक्षाघात हो जाता है।

❖ वनस्पति (Vegetative) अवस्था :

- यह एक ऐसी स्थिति होती है, जिसमें व्यक्ति जीवित तो रहता है लेकिन जीवित रहने के कोई लक्षण रोगी में नहीं पाए जाते हैं।
- इस स्थिति को अनुत्तरदायी जागृति सिंड्रोम (No Response Awarness Syndrome) भी कहा जाता है।
- ऐसी अवस्था में रोगी कोमा से जाग तो सकता है, लेकिन वह होश में आने में सक्षम नहीं होता है और इस अवस्था में बिताए गए अवधि में जैसे-जैसे वृद्धि होती है, रोगी के भविष्य में होश में आने की संभावना भी घटती जाती है।

Result Mitra TM